न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 13/2018 दायरा दिनांक : 22.01.2018

उनवान

1— विश्वास त्यागी पुत्र श्री रणवीर सिंह आयु 42 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी खेडलीगंजअटरू तहसील अटरू जिला बारां

2— प्रशान्त त्यागी पुत्र श्री रणवीर सिंह आयु 40 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी खेडलीगंजअटरू तहसील अटरू जिला बारां हाल निवासी आर.ए.सी कालोनी, बसन्त विहार कोटा जिला कोटा राज0

.... अपीलांट

बनाम

1— रक्षा त्यागी पुत्री श्री रणवीर सिंह पत्नी लेखराज आयु 44 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी खेडलीगंजअटरू तहसील अटरू जिला बारां

2— अजय त्यागी पुत्र श्री रणवीर सिंह आयु 46 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी खेडलीगंजअटरू तहसील अटरू जिला बारां

3— राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू जिला बारां राज0

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री जितेन्द्र चौरसिया अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री दीनानाथ गालव अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 19.06.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 14/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 पेश कर यह कथन किया कि ग्राम खेडलीगंज तहसील अटरू में खाता संख्या 146 की आराजी खसरा नम्बर 10/411 रकबा 1.39 है0, खसरा नम्बर 15 रकबा 0.28 है0, कुल 2 किता की 1.67 है0 आराजी स्थित है। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 का 1/4 हिस्सा निहित है। शामलाती खाते में आराजी रहने से आये दिन विवाद रहता है। अतः दावा वादी अस्वीकार कर वादिनी का 1/4 हिस्सा पृथक से दर्ज किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेंटगण के पिता की स्वअर्जित सम्पत्ति थी पिता के द्वारा एक वसीयत दिनांक 30.03.2010 को 50/– रूपये के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आलेखित की गई थी, जिसमें आराजी व रिहायशी मकान अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 2 के नाम वसीयत कया है। पिता की मृत्यु के बाद आराजी व रिहायशी मकान पर अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 2 काबिज है । अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत को नजर अंदाज कर आराजी को पुश्तैनी माना है रेस्पोडेंट नम्बर 1 विवाह के बाद से ससुराल में निवास कर रही है। उनका आराजी पर कब्जा नही है

गलत रूप से फौती इन्तकाल तस्दीक कराया है। अपीलांट के द्वारा तहसीलदार अटरू के समक्ष वसीयत के गवाहों के बयान करवाये थे। फिर भी तहसीलदार के द्वारा कोई निर्णय पारित नहीं किया गया। अपीलांटगण इस कारण वसीयत बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाये है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी पैतृक नहीं है। अपीलांट के पिता ने इसके बाबत वसीयत निष्पादित की थी। वसीयत को तहसील में प्रमाणित भी करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वसीयत को नजर अंदाज कर आराजी को गलत रूप से पैतृक माना गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के द्वारा कोई वसीयत पेश नही की गई है न ही वसीयत भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय उत्त्राधिकार अधिनियम के अनुसार प्रमाणित है। अन्य सह खातेदार भी वसीयत को स्वीकार नही करते है। नामान्तकरण को कही चुनौती नही दी गई है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबंदी सम्वत् 2070–73 एक्जीविट पी 1 संलग्न है, जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी रणवीर सिंह की मृत्यु हो जाने पर पक्षकारो के संयुक्त खाते में दर्ज की गई है। एक्जीविट पी 2 नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति है। इसके अलावा रक्षा त्यागी, गुलाब चंद व अजय त्यागी के बयान कराये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के बयानात पर ऐसा प्रतीत होता है, सहवन डी डब्लू 1, डी डब्लू 2, डी डब्लू 3 नम्बर डाले गये है, जबकि यह साक्ष्य वादी की है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी के द्वारा कोई गवाह पेश नही किये गये है। कई मौके दिये जाने के बाद दिनांक 06.11.2017 को उनकी साक्ष्य बंद की गई है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर से इकबालिया जबाब पेश किया गया है ंऔर अपीलांट नम्बर 1 व 2 के द्वारा जो जबाब पेश किया गया है, उसमें यह कथन किया गया है कि वसीयत तीनो भाईयों प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 के पक्ष में है जबकि अपील में उनके द्वारा यह कथन किया जा रहा है कि वसीयत अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 2 जो कि प्रतिवादी नम्बर 1 है, के पक्ष में कह गई है। अपीलांट के द्वारा इस न्यायालय अथवा अधीनस्थ न्यायालय में न तो असल वसीयत पेश की है, और न ही उसकी प्रमाणित प्रति पेश की है। वसीयत को प्रमाणित करने के लिए कोई गवाह भी अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किये गये है। अपीलांट प्रतिवादी अपने जबाब दावे को दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य से सिद्व नहीं कर पाये है।

इन तथ्यों के आधार पर अपीलांट प्रतिवादी अपने पक्ष को सिद्व नही कर पाये है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से

के अनुसार विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.1.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा